



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-27] रुड़की, शनिवार, दिनांक 15 अगस्त, 2026 ई0 (श्रावण 24, 1948 शक सम्बत्) [संख्या-33

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	रु0 3075
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	523—540	1500
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	327—344	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	367—377	975
स्टोर्स पर्चेज—स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

न्याय अनुभाग-1

अधिसूचना

नियुक्ति

24 जुलाई, 2026 ई०

संख्या-24 नो-M/XXXVI-A-1/2026-03 रिट/2011-श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री अजय कुमार अरोरा, अधिवक्ता को दिनांक 24-07-2026 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला ऊधमसिंह नगर की तहसील काशीपुर में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री अजय कुमार अरोरा का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

आज्ञा से,

अमित कुमार सिरोही,

प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of **Notification No. 24 नो-M/XXXVI-A-1/2026-03 Writ/2011**, dated July 24, 2026.

NOTIFICATIONAppointment

July 24, 2026

No. 24 नो-M/XXXVI-A-1/2026-03 Writ/2011--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No-53 of 1952), the Governor is pleased to appoint **Mr. Ajay Kumar Arora, Advocate** as Notary for a period of five years with effect from 24-07-2026 for **Tehsil Kashipur, District Udham Singh Nagar** and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of **Mr. Ajay Kumar Arora** be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

By Order,

AMIT KUMAR SIROHI,

Principal Secretary, Law-cum-L.R.

खेलकूद विभाग

अधिसूचना

07 अगस्त, 2026 ई0

संख्या 771 / VI-3 / 2026-34(13)2026 -चूंकि पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग व्यक्तियों को सुविधाजनक एवं निर्बाध रूप से सब्सिडी, लाभ तथा सेवाएँ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहचान स्थापित करने हेतु अनेक दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है तथा पारदर्शिता एवं दक्षता को बढ़ावा देता है;

और चूंकि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से परामर्श के उपरान्त अपने पत्र संख्या 13(4)/2020-EG-II(Pt.), दिनांक 10 अप्रैल, 2026 द्वारा उत्तराखण्ड सरकार के खेल विभाग (जिसे आगे "उक्त विभाग" कहा गया है) को, सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) के नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु, आधार संख्या धारक की पहचान स्थापित करने के लिए आधार प्रमाणीकरण करने तथा प्रमाणीकरण के दौरान आधार संख्या के उपयोग की अनुमति प्रदान की है तथा उक्त नियमावली के नियम 5 सपटित आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (ii) के अधीन इसकी अधिसूचना जारी करने की अनुमति प्रदान की है;

और चूंकि आधार प्रमाणीकरण खिलाड़ियों/निवासियों को खेल विभाग की सेवाओं का लाभ प्रदान करने तथा विभागीय कर्मचारियों/सहायक स्टाफ के प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए खेल विभाग के पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा; जिसे आगे उक्त प्रयोजन कहा जाएगा जैसा कि उक्त नियमों के नियम 3(1) में विनिर्दिष्ट है। उक्त प्रयोजन के लिए आधार प्रमाणीकरण पूर्णतः स्वैच्छिक होगा तथा विभाग आधार प्रमाणीकरण केवल खिलाड़ियों/निवासियों को खेल विभाग की सेवाएँ उपलब्ध कराने एवं विभागीय कर्मचारियों/सहायक स्टाफ के प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए खेल विभाग के पोर्टल के माध्यम से ही करेगा; जिसे आगे उपयोग प्रकरण (Use Cases) कहा जाएगा।

अतः, अब उक्त नियमावली के नियम 5 सपटित अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (ii) के अनुसरण में, खेल विभाग निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात :-

1. (1) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, विभाग प्रमाणीकरण के प्रयोजन हेतु आधार संख्या धारक की सहमति प्राप्त करेगा।

(2) उक्त नियमावली के नियम 3 के उपनियम (2) के अनुसार आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक होगा। विभाग आधार संख्या धारक को पहचान के वैकल्पिक एवं व्यवहार्य साधनों की जानकारी प्रदान करेगा तथा आधार प्रमाणीकरण से इंकार करने अथवा प्रमाणीकरण कराने में असमर्थ होने के कारण किसी भी सेवा से वंचित नहीं करेगा, अर्थात :-

(क) स्थायी खाता संख्या (PAN) कार्ड

(ख) पासपोर्ट

(ग) मतदाता पहचान पत्र

(घ) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अधीन लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की दिनांक से प्रभावी होगी।

3. पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या-637 / VI-3 / 2026-34(13)2026, दिनांक 10 जुलाई, 2026 एतद्वारा अधिक्रमित समझी जायेगी।

अमित कुमार सिन्हा,
विशेष प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India" the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 771/VI-3/2025-34(13)2026, dated August -07, 2026 for general information:

NOTIFICATION

August 07, 2026

No. 771/VI-3/2026-34(13)2026--Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency;

And whereas the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, after consultation with the Unique Identification Authority of India (UIDAI), had allowed vide its letter no. 13(4)/2020-EG-II(Pt.), dated 10th of April, 2026, to the Department of Sports (herein after referred to as the said, department, Government of Uttarakhand (hereinafter referred to as the said Government) for the purposes prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the said rules) that the said Department may be allowed to perform authentication and be permitted the use of Aadhaar number during authentication for establishing identity of Aadhaar number holder and notify the same under rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the Act);

And whereas, the Aadhar authentication shall be performed for athletes/residents for availing services of Sports Department and department employees/support staff for administrative purposes, through Portal of Sports Department (hereinafter referred to as the said purpose) as prescribed under sub-rule 1 of rule 3 of the said rules and the performance of Aadhar authentication for the said purpose shall be on voluntary basis and that the said Ministry/ Department/Agency shall perform the Aadhar authentication only for athletes/residents for availing services of Sports Department and department employees/ support staff for administrative purposes, through Portal of Sports Department [hereinafter referred to as the use case(s)].

Now, therefore, in pursuance of rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Act, the Department of Sports hereby notifies the following, namely: —

1. (1) The Department, as provided in the Act, shall obtain the consent of the Aadhaar number holder for the purpose of authentication herein.
- (2) As per sub-rule (2) of rule 3 of the said rules, Aadhaar authentication is on voluntary basis. The Department shall inform to the Aadhaar number holder of alternate and viable means of identification and shall not deny any service to the Aadhaar number holder for refusing to, or being unable to, undergo Aadhaar authentication, namely: —
 - (a) Permanent Account Number (PAN) Card
 - (b) Passport
 - (c) Voter Identity Card
 - (d) Driving License issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988
2. This notification shall come into effect from the date of its publication in the official Gazette.
3. The previously issued Notification No-637 /VI-3 /2026-34(13)2026, Dated 10 July, 2026 shall hereby deemed to be superseded.

AMIT KUMAR SINHA,
Special Principal Secretary
Department of Sports.

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2

कार्यालय ज्ञाप

09 जुलाई, 2026 ई0

संख्या-412001/XXIV-2/2026/29(12)2011 (E-42167)—मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त अनापत्ति के क्रम में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा में उप शिक्षा निदेशक/समकक्ष पद (वेतनमान—रु0 78800—209200 वेतन मैट्रिक्स का लेवल—12) के पद पर शासनादेश संख्या-407523, दिनांक-23.06.2026 द्वारा पदोन्नति उपरान्त निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित कार्यालयों से सम्बद्धीकरण समाप्त करते हुए स्तम्भ-4 में अंकित कार्यालयों में एतद्वारा तत्काल प्रभाव से तैनात/पदस्थापित किया जाता है:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पदोन्नति उपरान्त सम्बद्ध कार्यालय	नवीन तैनाती स्थल
1	2	3	4
1	श्री चक्षुष्पति अवस्थी	कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर।	संयुक्त सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर, नैनीताल।
2	श्री0 सुरेन्द्र सिंह नेगी	कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।	उप शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
3	श्रीमती पूनम चौहान	कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी।	उप शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
4	श्री विनोद सिंह मटूड़ा	कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, चमोली।	उप शिक्षा, निदेशक, एस0सी0ई0 आर0टी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
5	श्री पंकज कुमार उप्रेती	कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, चमोली।	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) चमोली।
6	श्री अभिषेक शुक्ला	कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार।	जिला शिक्षा अधिकारी, (मा0शि0) हरिद्वार।
7	कु0 सोनी महारा	कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़।	जिला शिक्षा अधिकारी (मा0शि0) रुद्रप्रयाग।

02-- उपरोक्त तालिका में अंकित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने एस0आई0आर0 सम्बन्धी कार्यों का कार्यभार किसी क्षेत्रीय अधिकारियों को हस्तगत करेंगे ताकि आयोग से नए नामों के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त होने तक एस0आई0आर0 हेतु अधिसूचित पद रिक्त न रहे।

03-- तदनुसार उपरोक्त तालिका में अंकित अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि अपने नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करते हुए कार्यभार ग्रहण प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

रविनाथ रामन,
सचिव।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

अधिसूचना

17 जुलाई, 2026 ई०

संख्या 414211/XXIV-C-3/2026-13(19)2019 ई-पत्रावली संख्या-27021-उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-02, वर्ष 2024) एवं उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2025 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-13, वर्ष 2025) के माध्यम से प्रायोजक निकाय द शिवालिक हिल फाउण्डेशन ट्रस्ट, ई-16, केवल विहार, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून द्वारा प्रायोजित "द यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ-वेस्ट हिमालयाज" नाम से ग्राम सनगांव/धारकोट, तहसील डोईवाला, जनपद देहरादून में एक निजी विश्वविद्यालय निगमित किया गया है।

अतएव, अब राज्यपाल उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए ग्राम सनगांव/धारकोट, तहसील डोईवाला, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड में "द यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ-वेस्ट हिमालयाज" नाम से एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित व संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

डॉ० बी०वी०आर०सी० पुरुषोत्तम,
सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 414211/XXIV-C-3/2026-13(19)2019 (27021), dated July-17, 2026.

NOTIFICATION

July 17, 2026

No. 414294/XXIV-C-3/2026-13(19)2019 (27021)--A private University with the name "The University of North-West Himalayas", in Village Sungaon/Dharkot, Tehsil Doiwala, Distt. Dehradun, Uttarakhand sponsored by The Shivalik Hills Foundation Trust, E-16, Kewal Vihar, Sahstradhara Road Dehradun has been incorporated vide the Uttarakhand Private Universities Act, 2023 (Uttarakhand Act No. 02 of 2024) and Uttarakhand Private Universities (Amendment) Act, 2025 (Uttarakhand Act No. 13 year 2025).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred under sub-section (1) of section 7 of the Uttarakhand Private Universities Act, 2023 the Governor is pleased to permit a Private University to be established and operated with the name "The University of North-West Himalayas", in Village Sungaon/Dharkot, Tehsil Doiwala, Distt. Dehradun, Uttarakhand.

By Order,

Dr. B. V. R. C. PURUSHOTTAM,
Secretary.

वित्त अनुभाग-8

संशोधित अधिसूचना

28 जुलाई, 2026 ई०

संख्या-807/2026/10(100/XXVII(8)/2022-उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्रावधानान्तर्गत स्थानान्तरण वर्ष 2026-27 हेतु शासन के स्थानान्तरण आदेश संख्या-735/2026/10(100/XXVII(8)/2022 दिनांक-07 जुलाई, 2026 की उपायुक्त, राज्यकर की सूची में आंशिक संशोधन करते हुए सम्मुख कॉलम-4 में अंकित कार्यालय/स्थान पर निम्न अधिकारियों को तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल/कार्यालय	प्रस्तावित तैनाती स्थल/कार्यालय
1	2	3	4
1.	श्री राम लाल	उपायुक्त (क०नि०)-3 राज्य कर, रुद्रपुर	उपायुक्त (क०नि०)-02 राज्य कर, रुड़की
2.	श्री संजीव कुमार त्रिपाठी	उपायुक्त (ऑडिट)-2 राज्य कर, देहरादून	उपायुक्त (क०नि०)-03 राज्य कर, रुड़की

02-उपरोक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नवीन तैनाती के स्थान पर तत्काल योगदान देते हुए योगदान आख्या शासन/आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

03-शासन के स्थानान्तरण आदेश संख्या-725/2026/10(100/XXVII(8)/2022 दिनांक-07 जुलाई, 2026 को उक्त सीमा तक संशोधित माना जायेगा।

आज्ञा से,

दिलीप जावलकर,
सचिव।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2

अधिसूचना

30 जुलाई, 2026 ई०

संख्या 418302/XXX(2)/2026-ई 88071-चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है,

अतएव, अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन यह भी आदेश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

आज्ञा से,

शैलेश बगौली,
सचिव।

पर्यटन अनुभाग-01

अधिसूचना

31 जुलाई, 2026 ई0

संख्या 418370 / VI(1)/2026-E.F.No-73450-राज्यपाल, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 की धारा 8 की उपधारा (2) के खण्ड (क) एवं (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग नियमावली, 2014 में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:-

उत्तराखण्ड रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग(संशोधन) नियमावली, 2026

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1.	(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग (संशोधन) नियमावली, 2026 है। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा। (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।			
नियम 5 का संशोधन	2.	उत्तराखण्ड रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग नियमावली 2014 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम (5) के उपनियम (06) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्— <table><tr><td>स्तम्भ-01 विद्यमान उपनियम (6) प्रत्येक आवेदक को साहसिक गतिविधियों में तीन वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/शासकीय विभाग/संस्था द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।</td><td>स्तम्भ-02 एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम (6) आवेदक साहसिक जल क्रीड़ा गतिविधि (रिवर राफ्टिंग/वाईट वाटर क्याकिंग) में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/शासकीय विभाग द्वारा कुल 05 वर्ष की अवधि का लाईसेन्स/परिचय पत्र धारक हो।</td></tr></table>		स्तम्भ-01 विद्यमान उपनियम (6) प्रत्येक आवेदक को साहसिक गतिविधियों में तीन वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/शासकीय विभाग/संस्था द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।	स्तम्भ-02 एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम (6) आवेदक साहसिक जल क्रीड़ा गतिविधि (रिवर राफ्टिंग/वाईट वाटर क्याकिंग) में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/शासकीय विभाग द्वारा कुल 05 वर्ष की अवधि का लाईसेन्स/परिचय पत्र धारक हो।
स्तम्भ-01 विद्यमान उपनियम (6) प्रत्येक आवेदक को साहसिक गतिविधियों में तीन वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/शासकीय विभाग/संस्था द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।	स्तम्भ-02 एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम (6) आवेदक साहसिक जल क्रीड़ा गतिविधि (रिवर राफ्टिंग/वाईट वाटर क्याकिंग) में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/शासकीय विभाग द्वारा कुल 05 वर्ष की अवधि का लाईसेन्स/परिचय पत्र धारक हो।				
नियम 7 में संशोधन	3.	मूल नियमावली में, विद्यमान नियम 7 में निम्नलिखित उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्— (7) नदी की धारक क्षमता के अनुसार गंगा नदी में अवशेष क्षमता की दशा में उन फर्मों को प्राथमिकता दी जाये, जो कि अन्य नदियों में राफ्टिंग संचालन का कार्य कर रहे हैं।			
नियम 8 में संशोधन	4.	मूल नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 8 के उपनियम (4) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्— <table><tr><td>स्तम्भ-1 विद्यमान उपनियम (4) प्रत्येक अनुज्ञा धारक नवीनीकरण हेतु अनुज्ञा निर्गमन अधिकारी के कार्यालय में सीजन प्रारम्भ होने के अधिकतम नब्बे (90) दिन के अन्दर निर्धारित शुल्क जमा करते हुये अनुज्ञा प्राप्त करेगा। उक्त अवधि में अनुज्ञा प्राप्त न करने की दशा में, प्रदान की</td><td>स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम (4) प्रत्येक अनुज्ञा धारक नवीनीकरण हेतु अनुज्ञा निर्गमन अधिकारी के कार्यालय में सीजन प्रारम्भ होने के अधिकतम पैंतालीस (45) दिन के अन्दर निर्धारित शुल्क जमा करते हुये अनुज्ञा प्राप्त करेगा। उक्त अवधि में अनुज्ञा प्राप्त न करने की दशा में, प्रदान की</td></tr></table>		स्तम्भ-1 विद्यमान उपनियम (4) प्रत्येक अनुज्ञा धारक नवीनीकरण हेतु अनुज्ञा निर्गमन अधिकारी के कार्यालय में सीजन प्रारम्भ होने के अधिकतम नब्बे (90) दिन के अन्दर निर्धारित शुल्क जमा करते हुये अनुज्ञा प्राप्त करेगा। उक्त अवधि में अनुज्ञा प्राप्त न करने की दशा में, प्रदान की	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम (4) प्रत्येक अनुज्ञा धारक नवीनीकरण हेतु अनुज्ञा निर्गमन अधिकारी के कार्यालय में सीजन प्रारम्भ होने के अधिकतम पैंतालीस (45) दिन के अन्दर निर्धारित शुल्क जमा करते हुये अनुज्ञा प्राप्त करेगा। उक्त अवधि में अनुज्ञा प्राप्त न करने की दशा में, प्रदान की
स्तम्भ-1 विद्यमान उपनियम (4) प्रत्येक अनुज्ञा धारक नवीनीकरण हेतु अनुज्ञा निर्गमन अधिकारी के कार्यालय में सीजन प्रारम्भ होने के अधिकतम नब्बे (90) दिन के अन्दर निर्धारित शुल्क जमा करते हुये अनुज्ञा प्राप्त करेगा। उक्त अवधि में अनुज्ञा प्राप्त न करने की दशा में, प्रदान की	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम (4) प्रत्येक अनुज्ञा धारक नवीनीकरण हेतु अनुज्ञा निर्गमन अधिकारी के कार्यालय में सीजन प्रारम्भ होने के अधिकतम पैंतालीस (45) दिन के अन्दर निर्धारित शुल्क जमा करते हुये अनुज्ञा प्राप्त करेगा। उक्त अवधि में अनुज्ञा प्राप्त न करने की दशा में, प्रदान की				

		गई अनुज्ञा स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी।	गई अनुज्ञा स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी।
नियम 10 का संशोधन	5.	मूल नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 10 के उपनियम (10) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम को रख दिया जायेगा, अर्थात्— स्तम्भ-1 विद्यमान उपनियम (10) प्रत्येक गाइड/सीनियर गाइड/क्याकर एक राफ्टिंग ट्रिप में कम से कम दो राफ्ट अथवा एक राफ्ट और एक सेफ्टी क्याक के साथ नदी के स्ट्रेच में राफ्टिंग/क्याकिंग का संचालन करेगा। किसी भी दशा में एक राफ्ट अथवा एक क्याक के साथ रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग का संचालन नहीं करेगा।	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम (10) प्रत्येक गाइड/सीनियर गाइड/क्याकर एक राफ्टिंग ट्रिप के दौरान सम्बन्धित फर्म की कम से कम दो राफ्ट अथवा एकल राफ्ट के संचालन की दशा में न्यूनतम एक सेफ्टी क्याक के साथ नदी के स्ट्रेच में राफ्टिंग/क्याकिंग का संचालन करेगा। किसी भी दशा में एक राफ्ट अथवा एक क्याक के साथ रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग का संचालन नहीं किया जायेगा।
नियम 18 में संशोधन	6	मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 18 के उपनियम (5) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये उपनियम को रख दिया जायेगा, अर्थात्— स्तम्भ-1 विद्यमान उपनियम (5) प्रत्येक ऑपरेटर/रिवर गाइड यह सुनिश्चित करेगा कि समस्त राफ्टिंग/क्याकिंग प्रतिभागी गाइड सहित राफ्टिंग/क्याकिंग संचालन के समय उपयुक्त आकार की लाइफ जैकेट एवं हेलमेट अनिवार्य रूप से पहने हुये हों।	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम (5) प्रत्येक ऑपरेटर/रिवर गाइड यह सुनिश्चित करेगा कि समस्त राफ्टिंग/क्याकिंग प्रतिभागी गाइड सहित राफ्टिंग/क्याकिंग संचालन के समय उपयुक्त आकार की लाइफ जैकेट (Type-V) एवं हेलमेट, जोकि सुरक्षा के दृष्टिगत राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मानकों से मेल खाते हों एवं प्रमाणित हों।
नियम 19 में संशोधन	7	मूल नियमावली के नियम 19 में,— (i) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 19 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्— स्तम्भ-1 विद्यमान खण्ड (ख) आयु प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। आयु 18 वर्ष से कम तथा 50 वर्ष से अधिक न हो अथवा फिटनेस के आधार पर;	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड (ख) आयु प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक न हो। 50 वर्ष से अधिक आयु के रिवर गाईडों/सेफ्टी क्याकर को प्रतिवर्ष राजकीय मेडिकल बोर्ड से राफ्टिंग संचालन हेतु स्वास्थ्य/उपयुक्ता प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करना होगा।
		(ii) उपनियम (4) को विलोपित कर दिया जायेगा।	

नियम 23 का संशोधन	8. मूल नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 23 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्— <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="502 369 901 436">स्तम्भ-1 विद्यमान नियम</th><th data-bbox="901 369 1332 436">स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="502 459 901 862">(23) प्रत्येक राफिटिंग/क्याकिंग गाइड के परिचय पत्र का नवीनीकरण उ0प0वि0प0 द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष बाद किया जायेगा, जिसका शुल्क नियम 20 में निहित प्राविधानों के अनुसार होगा। गाइड द्वारा नियोक्ता फर्म/ऑपरेटर को परिवर्तन करने की दशा में गाइड को निर्गत फोटो परिचय पत्र स्वतः ही रद्द हो जायेगा तथा पुनः नवीन परिचय पत्र हेतु आवेदन करना होगा।</td><td data-bbox="901 459 1332 896">(23) प्रत्येक राफिटिंग/क्याकिंग गाइड के परिचय पत्र का नवीनीकरण उ0प0वि0प0 द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष बाद किया जायेगा, जिसका शुल्क नियम 20 में निहित प्राविधानों के अनुसार होगा। प्रत्येक रिवर राफिटिंग गाइड को परिचय पत्र का नवीनीकरण किये जाने हेतु आवेदन, परिचय पत्र की वैधता समाप्ति से 90 दिनों से पूर्व किया जाना होगा, अन्यथा की स्थिति में नवीनीकरण हेतु आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।</td></tr> </tbody> </table>	स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम	(23) प्रत्येक राफिटिंग/क्याकिंग गाइड के परिचय पत्र का नवीनीकरण उ0प0वि0प0 द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष बाद किया जायेगा, जिसका शुल्क नियम 20 में निहित प्राविधानों के अनुसार होगा। गाइड द्वारा नियोक्ता फर्म/ऑपरेटर को परिवर्तन करने की दशा में गाइड को निर्गत फोटो परिचय पत्र स्वतः ही रद्द हो जायेगा तथा पुनः नवीन परिचय पत्र हेतु आवेदन करना होगा।	(23) प्रत्येक राफिटिंग/क्याकिंग गाइड के परिचय पत्र का नवीनीकरण उ0प0वि0प0 द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष बाद किया जायेगा, जिसका शुल्क नियम 20 में निहित प्राविधानों के अनुसार होगा। प्रत्येक रिवर राफिटिंग गाइड को परिचय पत्र का नवीनीकरण किये जाने हेतु आवेदन, परिचय पत्र की वैधता समाप्ति से 90 दिनों से पूर्व किया जाना होगा, अन्यथा की स्थिति में नवीनीकरण हेतु आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।				
स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम								
(23) प्रत्येक राफिटिंग/क्याकिंग गाइड के परिचय पत्र का नवीनीकरण उ0प0वि0प0 द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष बाद किया जायेगा, जिसका शुल्क नियम 20 में निहित प्राविधानों के अनुसार होगा। गाइड द्वारा नियोक्ता फर्म/ऑपरेटर को परिवर्तन करने की दशा में गाइड को निर्गत फोटो परिचय पत्र स्वतः ही रद्द हो जायेगा तथा पुनः नवीन परिचय पत्र हेतु आवेदन करना होगा।	(23) प्रत्येक राफिटिंग/क्याकिंग गाइड के परिचय पत्र का नवीनीकरण उ0प0वि0प0 द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष बाद किया जायेगा, जिसका शुल्क नियम 20 में निहित प्राविधानों के अनुसार होगा। प्रत्येक रिवर राफिटिंग गाइड को परिचय पत्र का नवीनीकरण किये जाने हेतु आवेदन, परिचय पत्र की वैधता समाप्ति से 90 दिनों से पूर्व किया जाना होगा, अन्यथा की स्थिति में नवीनीकरण हेतु आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।								
नियम 26 का संशोधन	9. मूल नियमावली के नियम 26 में— (i) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्— <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="502 1052 901 1120">स्तम्भ-1 विद्यमान उपनियम</th><th data-bbox="901 1052 1332 1120">स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="502 1131 901 1590">(1) बिना अनुज्ञा के रिवर राफिटिंग संचालन करने वाली फर्म/ऑपरेटर की राफ्ट जब्त कर दी जायेगी तथा पुनरावृत्ति की दशा में अनुज्ञा निलम्बित/निरस्त की जा सकेगी।</td><td data-bbox="901 1131 1332 1590">(1) (क) अनुज्ञा नवीनीकरण के बिना राफिटिंग संचालन करने वाले अनुज्ञाधारक/ऑपरेटर की राफ्ट जब्त करते हुये रु0 50,000/— (रु0 पचास हजार मात्र) प्रतिराफ्ट की दर से शास्ति अधिरोपित की जायेगी, शास्ति अदा करने एवं अनुज्ञा नवीनीकरण करने पर राफ्ट अवमुक्त की जा सकेगी। (ख) अवैध राफिटिंग का संचालन पाये जाने पर राफ्ट जब्त की जायेगी एवं संचालनकर्ता पर रु. 1,00,000/— (रु. एक लाख मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जायेगी।</td></tr> </tbody> </table> (ii) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (6) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये उपनियम को रख दिया जायेगा, अर्थात्— <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="502 1668 901 1736">स्तम्भ-1 विद्यमान उपनियम</th><th data-bbox="901 1668 1332 1736">स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="502 1747 901 1998">(6) किसी आपरेटर/अनुज्ञाधारी/गाइड द्वारा राफिटिंग/क्याकिंग गतिविधि में हुई दुर्घटना/पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार, धोखाधड़ी आदि घटनाओं की पुष्टि होने पर अथवा प्राथमिकी दर्ज होने पर उसकी अनुज्ञा निलम्बित अथवा</td><td data-bbox="901 1747 1332 1998">(6) किसी ऑपरेटर/अनुज्ञाधारी/गाइड द्वारा राफिटिंग/क्याकिंग गतिविधि में हुई दुर्घटना/पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार, धोखाधड़ी आदि घटनाओं की पुष्टि होने पर अथवा प्राथमिकी दर्ज होने पर फर्म की अनुज्ञा एवं रिवर गाइड का</td></tr> </tbody> </table>	स्तम्भ-1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम	(1) बिना अनुज्ञा के रिवर राफिटिंग संचालन करने वाली फर्म/ऑपरेटर की राफ्ट जब्त कर दी जायेगी तथा पुनरावृत्ति की दशा में अनुज्ञा निलम्बित/निरस्त की जा सकेगी।	(1) (क) अनुज्ञा नवीनीकरण के बिना राफिटिंग संचालन करने वाले अनुज्ञाधारक/ऑपरेटर की राफ्ट जब्त करते हुये रु0 50,000/— (रु0 पचास हजार मात्र) प्रतिराफ्ट की दर से शास्ति अधिरोपित की जायेगी, शास्ति अदा करने एवं अनुज्ञा नवीनीकरण करने पर राफ्ट अवमुक्त की जा सकेगी। (ख) अवैध राफिटिंग का संचालन पाये जाने पर राफ्ट जब्त की जायेगी एवं संचालनकर्ता पर रु. 1,00,000/— (रु. एक लाख मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जायेगी।	स्तम्भ-1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम	(6) किसी आपरेटर/अनुज्ञाधारी/गाइड द्वारा राफिटिंग/क्याकिंग गतिविधि में हुई दुर्घटना/पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार, धोखाधड़ी आदि घटनाओं की पुष्टि होने पर अथवा प्राथमिकी दर्ज होने पर उसकी अनुज्ञा निलम्बित अथवा	(6) किसी ऑपरेटर/अनुज्ञाधारी/गाइड द्वारा राफिटिंग/क्याकिंग गतिविधि में हुई दुर्घटना/पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार, धोखाधड़ी आदि घटनाओं की पुष्टि होने पर अथवा प्राथमिकी दर्ज होने पर फर्म की अनुज्ञा एवं रिवर गाइड का
स्तम्भ-1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम								
(1) बिना अनुज्ञा के रिवर राफिटिंग संचालन करने वाली फर्म/ऑपरेटर की राफ्ट जब्त कर दी जायेगी तथा पुनरावृत्ति की दशा में अनुज्ञा निलम्बित/निरस्त की जा सकेगी।	(1) (क) अनुज्ञा नवीनीकरण के बिना राफिटिंग संचालन करने वाले अनुज्ञाधारक/ऑपरेटर की राफ्ट जब्त करते हुये रु0 50,000/— (रु0 पचास हजार मात्र) प्रतिराफ्ट की दर से शास्ति अधिरोपित की जायेगी, शास्ति अदा करने एवं अनुज्ञा नवीनीकरण करने पर राफ्ट अवमुक्त की जा सकेगी। (ख) अवैध राफिटिंग का संचालन पाये जाने पर राफ्ट जब्त की जायेगी एवं संचालनकर्ता पर रु. 1,00,000/— (रु. एक लाख मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जायेगी।								
स्तम्भ-1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम								
(6) किसी आपरेटर/अनुज्ञाधारी/गाइड द्वारा राफिटिंग/क्याकिंग गतिविधि में हुई दुर्घटना/पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार, धोखाधड़ी आदि घटनाओं की पुष्टि होने पर अथवा प्राथमिकी दर्ज होने पर उसकी अनुज्ञा निलम्बित अथवा	(6) किसी ऑपरेटर/अनुज्ञाधारी/गाइड द्वारा राफिटिंग/क्याकिंग गतिविधि में हुई दुर्घटना/पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार, धोखाधड़ी आदि घटनाओं की पुष्टि होने पर अथवा प्राथमिकी दर्ज होने पर फर्म की अनुज्ञा एवं रिवर गाइड का								

		निरस्त की जायेगी।	परिचय-पत्र निलम्बित अथवा निरस्त किया जायेगा। निलम्बन/निरस्तीकरण की स्थिति में अनुज्ञा/परिचय पत्र धारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् के समक्ष अपील करने का अधिकार प्राप्त करेगा, जिसका निराकरण स्वयं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् द्वारा अथवा नामित अधिकारी के माध्यम से अधिकतम 01 माह की अवधि में किया जायेगा।
		(iii) स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (7) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्—	
		स्तम्भ-1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
		(7) प्रत्येक ऑपरेटर/अनुज्ञाधारी द्वारा इस नियमावली में निहित प्राविधानों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा तथा किसी नियम के उल्लंघन पाये जाने की दशा में उसकी अनुज्ञा रोकना/ निलम्बित/ निरस्त कर दी जायेगी अथवा काली सूची में डाल दिया जायेगा अथवा उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।	(7) प्रत्येक ऑपरेटर/अनुज्ञाधारी द्वारा इस नियमावली में निहित प्राविधानों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा तथा किसी नियम के उल्लंघन पाये जाने की दशा में फर्म की अनुज्ञा एवं रिवर गाईड का परिचय पत्र रोका/ निलम्बित/निरस्त कर दी जायेगी अथवा फर्म/रिवर गाईड को काली सूची में डाल दिया जायेगा अथवा उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
		(iv) नया उपनियम (9) निम्नवत् अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:—	
		(9) राफ्टिंग/क्याकिंग के दौरान संचालन में अनियमितता पाये जाने पर निम्नवत् शास्ति सम्बन्धित रिवर गाईड/अनुज्ञा धारक पर अधिरोपित की जायेगी:— (क) राफ्टिंग अवधि में गाईड/पर्यटक को बिना हेलमेट/लाईफ जैकेट एवं अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरण के पाये जाने पर अनुज्ञाधारक पर ₹0 5,000/— (₹0 पाँच हजार मात्र) की शास्ति तथा गाईड का परिचय पत्र रोकना/निलम्बन/निरस्त किया जाएगा। (ख) राफ्टिंग अवधि में राफ्ट पर ओवरलोडिंग पाये जाने पर अनुज्ञाधारक के विरुद्ध ₹0 5,000/— (₹0 पाँच हजार मात्र) प्रति यात्री/व्यक्ति की शास्ति। (ग) अवैध रिवर गाईड द्वारा राफ्टिंग/क्याकिंग गतिविधि संचालन पाये जाने पर अनुज्ञाधारक के विरुद्ध ₹0 50,000/— (₹0 पचास हजार मात्र) का शास्ति एवं गाईड के परिचय पत्र का वैध नवीनीकरण न पाये जाने पर गाईड के विरुद्ध ₹0 5,000/— (₹0 पाँच हजार मात्र) की शास्ति। (घ) राफ्टिंग के दौरान रिवर गाईड द्वारा गो प्रो कैमरा का प्रयोग करते हुए पाये जाने पर गाईड के विरुद्ध ₹0 10,000/— (₹0 दस हजार मात्र) की शास्ति। (ङ) राफ्टिंग के दौरान खराब, क्षतिग्रस्त एवं निर्धारित मानकों से न्यून मानकों के उपकरणों का प्रयोग पाये जाने पर अनुज्ञा धारक के विरुद्ध ₹0 5,000/— (₹0 पाँच हजार मात्र) की शास्ति। (च) उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् की अनुमति के बिना किसी ऑपरेटर/अनुज्ञाधारी द्वारा राफ्टिंग/क्याकिंग की अनुज्ञा को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण/सबलेटिंग करना गैर कानूनी होगा, ऐसा करते हुए पाये जाने की	

		स्थिति में उसकी अनुज्ञा को निरस्त किया जायेगा एवं उसका नाम काली सूची में डाला जाएगा। शास्ति को अधिरोपित एवं वसूली का अधिकार नियम 13(7) में उल्लिखित उत्तराखण्ड नदी राफ्टिंग प्रबन्ध सोसाइटी-जिला पर्यटन विकास अधिकारी अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित प्राधिकारी में निहित होगा। उक्तानुसार अधिरोपित की जाने वाली शास्ति की धनराशि को राजकोष में जमा कराया जायेगा।
अनुलग्नक क II एवं ड का संशोधन	10	मूल नियमावली के अनुलग्नक "क II" एवं "ड" के स्थान पर निम्नलिखित अनुलग्नक रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,
धीराज सिंह गर्ब्याल,
सचिव।

'अनुलग्नक-क-11'

(नियम 5 के अधीन)
व्यवसायिक रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग अनुज्ञा हेतु आवेदन-पत्र
(नये आवेदकों हेतु)

रंगीन फोटोग्राफ
पासपोर्ट साइज

भाग-1

1. आवेदक का नाम
2. फर्म/कम्पनी/संस्था का नाम
- पूर्ण पता
- ई-मेल
- मोबाईल/टेलीफोन/फैक्स नम्बर
3. साझेदारों/निदेशकों के नाम
- (पार्टनरशिप डीड संलग्न करें)
4. पंजीकरण संख्या
- (शॉप एवं अधिष्ठान एक्ट/फर्म एवं
- सोसायटी/कम्पनी एक्ट/सर्विस टैक्स पंजीकरण
- आदि की छायाप्रति संलग्न करें)
5. जल क्रीड़ा (रिवर राफ्टिंग/व्हाइट वॉटर क्याकिंग)
- में कुल 05 वर्षों का लाईसेन्स/परिचय पत्र की
- प्रति संलग्न करें।
6. राफ्टिंग/क्याकिंग के परमिट हेतु नदी का नाम
7. राफ्टिंग/क्याकिंग हेतु आवेदन शुल्क का विवरण
- (अप्रतिसंदेय)

घोषणा

- मैं/हम.....घोषणा करता हूँ/करते हैं कि :-
1. मैंने/हमने उत्तराखण्ड रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग नियमावली का भलीभाँति अध्ययन कर लिया है तथा इसमें दिये गये प्राविधानों का पूर्ण रूप से अनुपालन करूंगा/करेंगे।
 2. मैं/हम मुख्य कार्यकारी अधिकारी/वन विभाग द्वारा निर्देशित वांछित सूचनायें समय से उपलब्ध करायेँगे।
 3. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा लिया गया निर्णय मुझे/हमें मान्य होगा।
 4. मेरी/हमारी पंजीकृत कम्पनी/फर्म/संस्था में कार्यरत समस्त कार्मिकों/विदेशी गाइडों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।
 5. किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किसी भी समय मेरे/हमारे कार्यालय या कैम्प कार्यालय में राफ्टिंग/क्याकिंग/कैम्पिंग उपकरणों के आकस्मिक निरीक्षण किये जाने पर पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा।
 6. मैं/हमारे द्वारा स्टाफ (कुशल/अकुशल) का विवरण, नाम, पता, शिक्षा, अनुभव आदि तकनीकी समिति का बायोडाटा सहित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण के समय प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
 7. मेरे/हमारे द्वारा रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग उपकरणों आदि के क्रय करने से सम्बन्धित साक्ष्य तकनीकी समिति अथवा उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद को तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण के समय स्वयं ही प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
 8. मेरे/हमारे द्वारा रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग कार्य में स्थानीय लोगों को उनकी योग्यतानुसार रोजगार प्रदान कर उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।
 9. मैं/हम यह वचन देता हूँ/देते हैं कि उक्त दी गई सूचनायें सत्य एवं सही हैं। यदि उपरोक्त सूचनायें असत्य अथवा छलपूर्ण पाई जाती है तो इस आवेदन पत्र को निरस्त किये जाने में मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

संलग्नक:-

दिनांक:-

आवेदक का हस्ताक्षर.....

नाम :

पता :

मोबाईल/दूरभाष नम्बर:

अनुलग्नक-‘ड’

(नियम 12 के अधीन)

तकनीकी समिति द्वारा निरीक्षण/तकनीकी मूल्यांकन

1. निरीक्षण की तिथि :
2. कम्पनी/फर्म/संस्था का नाम :
3. उपकरणों का विवरण:-

क्र० सं०	उपकरण का नाम	संख्या	निर्माता कम्पनी का नाम	लम्बाई	चैम्बरों की संख्या	रंग	क्षमता	पंजीकरण संख्या	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क	राफ्ट								
1									
2									
3									
ख	दयाक								
1									
2									
ग	अन्य उपकरण								
1	लाइफ जैकेट								
2	हैलमेट								
3	गाइड पैडल								
4	राफ्टर पैडल								
5	श्रो/रेस्क्यू बैग								
6	फिलप लाइन								
7	एयर पम्प								
8	ओर फेम								
9	ड्राई बैग								
10	वेट सूट								
11	स्ट्रेप्स								
12	बो लाइन								
13	कैराबाइनर								
14	पुली								
15	डिसेन्डर								
16	रिपेयर किट								
17	नाइलोन रेस्क्यू रोप								
18	अन्य								
घ	फर्स्ट एड बॉक्स								
क्र० सं०	मद संख्या	संख्या	हां/ नहीं	अभ्युक्ति					
1	2	3	4	5					
1	कॉटन एवं गॉज								

2	विभिन्न प्रकार की पट्टियाँ			
3	प्राथमिक उपचार टेप			
4	विभिन्न साइजों की सेफ्टी पिन;			
5	कैंची;			
6	स्टेरल पैड एवं ड्रेनर्स;			
7	सेवलॉन;			
8	दर्द निवारक मलहम;			
9	कास्ट एवं स्त्रे के उद्देश्य से 12" लकड़ी का स्केल;			
10	इनहेलर;			
11	अम्बू बैग;			
12	आक्सीजन सिलिण्डर मास्क सहित			
13	विभिन्न प्रकार की आवश्यक औषधियाँ, एलर्जी विरोधी औषधियाँ एवं वमन (उलटी) विरोधी औषधियाँ, आदि;			

उपकरणों की गुणवत्ता जांच

1. बिन्दु क पर वर्णित राफ्टों की स्थिति
अच्छा/औसत/खराब
2. बिन्दु ख पर वर्णित अन्य उपकरणों की स्थिति
अच्छा/औसत/खराब
3. बिन्दु ग पर वर्णित प्राथमिकता चिकित्सा बॉक्स की स्थिति
अच्छा/औसत/खराब

4. पुराने रिवर गाइडों/क्याकरों का विवरण

क्र० सं०	गाइड/क्याकर का नाम	पिता का नाम	अभ्युक्ति
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

5. नये/ट्रेनी रिवर गाइडों/क्याकरों का विवरण

- i. गाइड का नाम
- ii. पिता का नाम
- iii. जन्म तिथि
- iv. राष्ट्रीयता
- v. ब्लड ग्रुप
- vi. कम्पनी/फर्म का नाम
- vii. पूरा पता
- viii. दूरभाष/मोबाइल नं०

6. रिवर गाइड का कौशल परीक्षण

क्र०सं 0	गतिविधि		अवधि	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण	अभ्युक्ति
क- साक्षात्कार परीक्षण			5.00 मिनट			
1	व्यक्तित्व					
2	ब्रीफिंग					
3	व्यवहार					
4	तकनीकी ज्ञान					
5	सुरक्षा एवं बचाव					
6	रिवर सिग्नल					
ख- शारीरिक परीक्षण						
क्र०सं 0	गतिविधि	दूरी	अवधि	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण	अभ्युक्ति
1	लाइफ जैकेट/हैलमेट के साथ तैराकी	एडी इन एण्ड आउट	5.00 मिनट			
2	राफ्ट	फिलप	0.30 मिनट			
		री-फिलप	1.00 मिनट			
		एडी इन एण्ड आउट	5.00 मिनट			
		रैपिड रनिंग स्किल	2.00 मिनट			
3	अण्डर वाटर राफ्ट क्रोसिंग	आगे से पीछे	1.00 मिनट			
		दायें से बायें	0.30 मिनट			
		स्वयं का बचाव	0.30 मिनट			
4	30 फीट तक रैस्क्यू बैग फैंकना/ वापस खींचना	अन्डर थ्रो	0.30 मिनट			
		साइड थ्रो	0.30 मिनट			
		ओवर हेड थ्रो	0.30 मिनट			

		रोप को बैग में वापस रखना	1.00 मिनट			
5	नदी कौशल परीक्षा	5 से 7 कि०मी०	30.00 मिनट			
(क)	(विभिन्न नदियों में)					
(ख)	जल विज्ञान					
(ग)	सुरक्षा और बचाव रिवर रीडिंग					
(घ)	रैपिड क्रोसिंग					
(ङ)	रिवर रनिंग रिकार्ड (लॉग बुक)					

7- रिवर क्याकर का कौशल परीक्षण

क्र० सं०	गतिविधि		अवधि	उत्तीर्ण	अनुतीर्ण	अभ्युक्ति
क- साक्षात्कार परीक्षण			5.00 मिनट			
1	ब्रीफिंग					
2	व्यवहार					
3	तकनीकी ज्ञान					
4	प्राथमिक चिकित्सा और सी०पी०आर					
5	सुरक्षा एवं बचाव					
6	रिवर सिग्नल					
ख- शारीरिक परीक्षण						
क्र० सं०	गतिविधि	दूरी	अवधि	उत्तीर्ण	अनुतीर्ण	अभ्युक्ति
1	तैराकी परीक्षण	एडी इन एण्ड आउट 50 मीटर क्याक के साथ तैरना	5.00 मिनट			
2	क्याक कौशल परीक्षण	तीन तैराकों को खींचना	2.00 मिनट			
		पर्यटक के साथ फेरी	3.00 मिनट			
		रैपिड में रोलिंग	0.60 मिनट			
		रैपिड रनिंग स्किल	2.00 मिनट			
3	रोलिंग कौशल	एक पंक्ति में 5 रोल	0.60 मिनट			
		20 सेकंड पानी के अंदर प्रतीक्षा करें फिर रोल करें	0.20 मिनट			
4	30 फीट तक रैस्क्यू बैग फेंकना/वापस खींचना	अन्डर थ्रो	0.30 मिनट			
		साइड थ्रो	0.30 मिनट			
		ओवर हैड थ्रो	0.30 मिनट			
		रोप को बैग में वापस रखना	1.00 मिनट			
5	नदी कौशल	5 से 7 कि०मी०	30.00			

	परीक्षा (विभिन्न नदियों में)		मिनट			
(अ)	स्थिति	बेहोश तैराक, गाइड लापता, पर्यटक लापता, मृत्यु आदि।				
(ब)	रिवर रनिंग रिकार्ड (लॉग बुक)					

नोट:-

- 1- प्रत्येक गाइड/क्याकर को साक्षात्कार परीक्षण में उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही शारीरिक परीक्षण की अनुमति होगी।
- 2- प्रत्येक गाइड/क्याकर को साक्षात्कार परीक्षण एवं तकनीकी परीक्षण दोनों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
- 3- वस्तुस्थिति के अनुसार शारीरिक परीक्षण मानकों में परिवर्तन का अधिकार तकनीकी समिति को होगा।

आज्ञा से,

धीराज सिंह गब्याल,
सचिव।

गृह (अधिष्ठान) अनुभाग-3

विज्ञप्ति/प्रोन्नति

13 जुलाई, 2026 ई०

संख्या 412654/XX-3/2026-2(4)/2019-उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा विभागान्तर्गत चयन वर्ष 2025-26 में मुख्य अग्निशमन अधिकारी पद की रिक्ति के सापेक्ष पदोन्नति हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में सम्पन्न हुई चयन समिति की बैठक के क्रम में प्राप्त संस्तुति के आधार पर श्री अनिल कुमार त्यागी, अग्निशमन अधिकारी (वेतनमान रु० 47,600-151,100, लेवल-08) को मुख्य अग्निशमन अधिकारी (वेतनमान रु० 56100-177500, लेवल-10) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) पदोन्नति के फलस्वरूप उक्त अधिकारी 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि में रहेंगे।
 - (2) उक्त अधिकारी 'उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020' के नियम 3(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार 15 दिन के भीतर पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- उक्त पदोन्नत अधिकारी की तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

तृप्ति भट्ट,
अपर सचिव।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 15 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 24, 1948 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य—विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

NOTIFICATION

June 16, 2026

No.243/UHC/Admin.A-2/2026

Shri Ritesh Kumar Srivastava, 2nd Additional District & Sessions Judge, Kashipur, District Udham Singh Nagar is posted as Additional District & Sessions Judge/Fast Track Special Court (FTSC)- POCSO Act, Kashipur, District Udham Singh Nagar, in the vacant Court, created vide G.O. No. 281/XXXVI(2)/26/05(vividh)/2025 dated 06.03.2026 of Law Section-2, Government of Uttarakhand.

No.244/UHC/Admin.A-2/2026

Shri Abdul Qayyum, Judge, Family Court, Tehri Garhwal is repatriated, transferred and posted as Additional District & Sessions Judge/Fast Track Special Court (FTSC)- POCSO Act, Vikasnagar, District Dehradun, in the vacant Court, created vide G.O. No. 281/XXXVI(2)/26/05(vividh)/2025 dated 06.03.2026 of Law Section-2, Government of Uttarakhand.

No.245/UHC/Admin.A-2/2026

Ms. Kusum, Chairman, Permanent Lok Adalat, Tehri Garhwal is repatriated, transferred and posted as F.T.C./Additional District & Sessions Judge, POCSO Act, Dehradun, in the vacant Court.

No.246/UHC/Admin.A-2/2026

Shri Sudhir Tomar, Chairman, Permanent Lok Adalat, Nainital is repatriated and posted as Additional District & Sessions Judge/Fast Track Special Court (FTSC)-POCSO Act, Nainital, in the vacant Court, created vide G.O. No. 281/XXXVI(2)/26/05(vividh)/2025 dated 06.03.2026 of Law Section-2, Government of Uttarakhand.

No.247/UHC/Admin.A-2/2026

Shri Shambhu Nath Singh Sethwal, Civil Judge (Jr. Div.), Udham Singh Nagar is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun, vice Shri Anurag Tripathi.

No.248/UHC/Admin.A-2/2026

Shri Anil Kumar Kori, Civil Judge (Jr. Div.), Joshimath, District Chamoli is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Dwarahat, District Almora, in the vacant Court.

Shri Anil Kumar Kori shall not be entitled to Transfer Travelling Allowance.

No.249/UHC/Admin.A-2/2026

Shri Prateek Mathela, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Udham Singh Nagar is posted as Civil Judge (Jr. Div.), Udham Singh Nagar, vice Shri Shambhu Nath Singh Sethwal.

No.250/UHC/Admin.A-2/2026

Shri Anurag Tripathi, Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is posted as 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun, vice Shri Ishank.

No.251/UHC/Admin.A-2/2026

Ms. Pratiksha Kesarwani, 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Udham Singh Nagar is posted as 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Udham Singh Nagar, vice Shri Prateek Mathela.

No.252/UHC/Admin.A-2/2026

Shri Ishank, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is posted as 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun, vice Shri Naveen Rana.

No.253/UHC/Admin.A-2/2026

Shri Naveen Rana, 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is posted as 3rd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun, in the vacant Court.

No.254/UHC/Admin.A-2/2026

Ms. Parminder Kaur, Civil Judge (Jr. Div.), Dhumakot, District Pauri Garhwal is transferred and posted as 3rd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Haridwar, vice Ms. Dhanishta Arya.

No.255/UHC/Admin.A-2/2026

Ms. Neha, Civil Judge (Jr. Div.), Satpuli, District Pauri Garhwal is transferred and posted as 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Udham Singh Nagar, vice Ms. Pratiksha Kesarwani.

No.256/UHC/Admin.A-2/2026

Ms. Dhanishta Arya, 3rd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Haridwar is posted as 4th Additional Civil Judge (Jr. Div.), Haridwar, vice Shri Jyoti Singh.

No.257/UHC/Admin.A-2/2026

Shri Jyoti Singh, 4th Additional Civil Judge (Jr. Div.), Haridwar is transferred and posted as 4th Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun, in the vacant Court.

No.258/UHC/Admin.A-2/2026

The Civil Judge (Jr. Div.), Lansdowne, District Pauri Garhwal is directed to hold Camp Court at Dhumakot, District Pauri Garhwal for two continuous days in the last week of the month, until further orders.

No.259/UHC/Admin.A-2/2026

The Civil Judge (Jr. Div.), Kotdwar, District Pauri Garhwal is directed to hold Camp Court at Satpuli, District Pauri Garhwal for two continuous days in a month, until further orders.

No.260/UHC/Admin.A-2/2026

The Civil Judge (Jr. Div.), Chamoli is directed to hold Camp Court at Joshimath, District Chamoli for five continuous days in a month, until further orders.

No.261/UHC/Admin.A-2/2026

The Civil Judge (Jr. Div.), Tehri Garhwal is directed to hold Camp Court at Pratap Nagar, District Tehri Garhwal for three continuous days in a month, until further orders.

Note:

- (A) The District & Sessions Judge, Tehri Garhwal, is being recommended to the Uttarakhand State Legal Services Authority (SLSA), Nainital, for assigning the additional charge of the office of Chairman, Permanent Lok Adalat, Tehri Garhwal.
- (B) The District & Sessions Judge, Nainital, is being recommended to the Uttarakhand State Legal Services Authority (SLSA), Nainital, for assigning the additional charge of the office of Chairman, Permanent Lok Adalat, Nainital.

- (C) The name of Shri Nasim Ahmad, Additional District & Sessions Judge, Tehri Garhwal is being recommended to the State Government to give him additional charge of the office of the Judge, Family Court, Tehri Garhwal, with the direction to preside over the Family Court, Tehri Garhwal for two days in a week.

Above orders shall come into force after issuance of respective notifications from the State Government/Uttarakhand SLA.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

YOGESH KUMAR GUPTA,

Registrar General.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

July 14, 2026

No. 280/XIV-a-36/Admin.A/2017--Ms. Shikha Bhandari, Principal Magistrate 1st class, Juvenile Justice Board, Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 25.05.2026 to 03.06.2026.

NOTIFICATION

July 14, 2026

No. 281/XIV/a-35/Admin.A/2017--Shri Vivek Singh Rana, Judicial Magistrate-I, Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 25.05.2026 to 03.06.2026.

NOTIFICATION

July 14, 2026

No. 282/XIV/a-19/Admin.A/2009--Ms. Jyoti Bala, Civil Judge (Sr. Div.), Haridwar is hereby sanctioned medical leave for 07 days w.e.f. 29.05.2026 to 04.06.2026.

NOTIFICATION

July 14, 2026

No. 283/XIV-a/28/Admin.A/2012--Ms. Ritika Semwal, the then Civil Judge (Sr. Div.), Roorkee District Haridwar, presently posted as Additional Chief Judicial Magistrate, N.I. Act Special Court, Rudrapur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 14 days w.e.f. 13.05.2026 to 26.05.2026.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड

(स्थापना-अनुभाग (राजपत्रित))

विज्ञप्ति/नियुक्ति आदेश

03 जुलाई, 2026 ई0

पत्रांक/1295/आयु0रा0क0उत्तरा0/स्था0अनु0/रा0कर/2026-27/देहरादून-

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री आदेशा चौधरी पुत्री श्री यादोराम चौधरी, पता-राजा गार्डन, गली नं0-03, जगन्नीतपुर, कनखल, हरिद्वार, जनपद-हरिद्वार, पिन कोड-249403 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7, (रु0 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैंड-2, रु0 9300-34800, ग्रेड वेतन रु0 4600) में प्रारंभिक वेतन रु0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरो में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- सुश्री आदेशा चौधरी पुत्री श्री यादोराम चौधरी को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2026 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं "उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023" तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण-पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी।

6- इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय/प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे।

7- आयुक्त कार्यालय/प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होंगे:-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र।
5. इस आशय की घोषणा/"Under Taking" कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववर्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरान्त यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/वृष्टिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।
10. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र।

8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या-48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-18 (एस/बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-25 (एस/बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या-121 (एस/बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-124 (एस/बी) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-125 (एस/बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-149 (एस/बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-144 (एस/बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-150 (एस/बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या-253 (एस/बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-231 (एस/बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/आदेश के अधीन रहेगी।

9— आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड/प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं०-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार आपके अभ्यर्थन/नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

विज्ञप्ति/नियुक्ति आदेश

03 जुलाई, 2026 ई0

पत्रांक / 1296 / आयु0रा0क0उत्तरा0 / स्था0अनु0 / रा0कर / 2026-27 / देहरादून-

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री अमन टम्टा पुत्र श्री आर0पी0 टम्टा, पता-ग्राम मल्ली माल गांव, नियर पुलिस लाईन, अल्मोड़ा, जनपद-अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड पिन कोड-263601 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7, (रु० 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैंड-2, रु० 9300-34800, ग्रेड वेतन रु० 4600) में प्रारंभिक वेतन रु० 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं०-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरो में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन अस्थायी/औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री अमन टम्टा पुत्र श्री आर0पी0 टम्टा को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं०-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2026 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं "उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023" तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी।

5— अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, निकट पुलिया नं०-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण-पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी।

6— इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय/प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे।

7— आयुक्त कार्यालय/प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होंगे:-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र।
5. इस आशय की घोषणा/"Under Taking" कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरान्त यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।
10. इण्डियन ऑफिशियल सीकेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र।

8— यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या-48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-18 (एस/बी) ऑफ 2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-25 (एस/बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या-121 (एस/बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-124 (एस/बी) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-125 (एस/बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-149 (एस/बी) ऑफ 2024 गुलफाम

अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-144 (एस/बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-150 (एस/बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या-253 (एस/बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-231 (एस/बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/आदेश के अधीन रहेगी।

9- आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड/प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार आपके अभ्यर्थन/नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

विज्ञप्ति/नियुक्ति आदेश

03 जुलाई, 2026 ई0

पत्रांक/1297/आयु0रा0क0उत्तरा0/स्था0अनु0/रा0कर/2026-27/देहरादून-

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री अमित सिंह पुत्र श्री जगपाल सिंह, पता-ग्राम व पोस्ट मुंडाला, पट्टी दोगी पावकी देवी, जनपद-टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पिन कोड-249192 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7, (रू0 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैंड-2, रू0 9300-34800, ग्रेड वेतन रू0 4600) में प्रारंभिक वेतन रू0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरो में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन अस्थायी/औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री अमित सिंह पुत्र श्री जगपाल सिंह को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2026 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं "उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023" तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, निकट पुलिसिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण-पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी।

6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय/प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे।

7- आयुक्त कार्यालय/प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होंगे:-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र।
5. इस आशय की घोषणा/"Under Taking" कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरान्त यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।
10. इण्डियन ऑफिशियल सीकेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र।

8- यह नियुक्ति मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या-48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-18 (एस/बी) ऑफ 2025 आकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-25 (एस/बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या-121 (एस/बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-124 (एस0बी0) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम

उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-125 (एस/बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-149 (एस/बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-144 (एस/बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-150 (एस/बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या-253 (एस/बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-231 (एस/बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/आदेश के अधीन रहेगी।

9- आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड/प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, निकट पुलिया नं०-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार आपके अभ्यर्थन/नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

विज्ञप्ति/नियुक्ति आदेश

03 जुलाई, 2026 ई०

पत्रांक / 1298 / आयु०रा०क०उत्तरा० / स्था०अनु० / रा०कर / 2026-27 / देहरादून-

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री हिमांशु मखौलिया पुत्र श्री दिनेश चन्द्र मखौलिया, पता-ग्राम रई, पो०ओ०-सिन्धु, जनपद-पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड, पिन कोड-262501 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7, (रु० 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैंड-2, रु० 9300-34800, ग्रेड वेतन रु० 4600) में प्रारंभिक वेतन रु० 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड, निकट पुलिया नं०-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरो में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन अस्थायी/औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री हिमांशु मखौलिया पुत्र श्री दिनेश चन्द्र मखौलिया को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड, निकट पुलिया नं०-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2026 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं "उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023" तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, निकट पुलिस नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण-पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी।

6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय/प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे।

7- आयुक्त कार्यालय/प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होंगे:-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र।
5. इस आशय की घोषणा/"Under Taking" कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरान्त यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।
10. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र।

8- यह नियुक्ति मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या-48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-18 (एस/बी) ऑफ 2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-25 (एस/बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका

संख्या-121 (एस/बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-124 (एस/बी) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-125 (एस/बी) ऑफ 2024 सजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-149 (एस/बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-144 (एस/बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-150 (एस/बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या-253 (एस/बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-231 (एस/बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/आदेश के अधीन रहेगी।

9- आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड/प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, निकट पुलिया नं०-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार आपके अभ्यर्थन/नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

विज्ञप्ति/नियुक्ति आदेश

03 जुलाई, 2026 ई0

पत्रांक/1299/आयु0रा0क0उत्तरा0/स्था0अनु0/रा0कर/2026-27/देहरादून-

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री गोविन्द राम मिश्रा पुत्र श्री श्याम नारायण मिश्रा, पता-गुरुकुल कॉलोनी (सोसायटी), नया गाँव, अजबपुर खुर्द, देहरादून, जनपद-देहरादून, उत्तराखण्ड पिन कोड-248121 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7, (रु० 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2, रु० 9300-34800, ग्रेड वेतन रु० 4600) में प्रारंभिक वेतन रु० 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड, निकट पुलिया नं०-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तर्तों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन अस्थायी/औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री गोविन्द राम मिश्रा पुत्र श्री श्याम नारायण मिश्रा को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड, निकट पुलिया नं०-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2025 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

3— यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।

4— एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं "उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023" तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी।

5— अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, निकट पुलिस स्टेशन नं०-06, अपर नन्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण-पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी।

6— इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय/प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे।

7— आयुक्त कार्यालय/प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होंगे:-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र।
5. इस आशय की घोषणा/"Under Taking" कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा।
7. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरान्त यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
8. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।
9. इण्डियन ऑफिशियल सीकेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र।

8— यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या—48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या—18 (एस/बी) ऑफ 2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या—25 (एस/बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या—121 (एस/बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या—124 (एस/बी) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या—125 (एस/बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या—149 (एस/बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या—144 (एस/बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या—150 (एस/बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या—253 (एस/बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या—231 (एस/बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/आदेश के अधीन रहेगी।

9— आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड/प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, निकट पुलिस नं०-06, अपर नन्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार आपके अभ्यर्थन/नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

प्रतीक जैन,
आयुक्त राज्य कर,
उत्तराखण्ड।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून

आदेश

23 जून, 2026 ई०

संख्या : एसपीटी—आर—(गति सीमा)/2026—केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—112 की उपधारा—(2) में प्राविधानित है कि यदि राज्य सरकार का या ऐसे किसी प्राधिकारी का जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हो, समाधान हो जाता है कि सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की दृष्टि से या किसी सड़क या पुल के स्वरूप के कारण यह आवश्यक है कि मोटरयानों की गति परिसीमित की जाए, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और धारा—116 के अधीन उचित स्थानों पर समुचित यातायात चिन्ह रखवाकर या लगवाकर मोटरयानों की या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्णन के मोटरयानों की या ऐसे मोटरयानों की जिनके साथ ट्रेलर संलग्न है या तो साधारणतया या किसी विशिष्ट क्षेत्र में या विशिष्ट सड़क या सड़कों के बारे में ऐसी अधिकतम गति सीमाएं या न्यूनतम गति सीमाएं नियत कर सकेगी जो ठीक समझे।

उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011(यथा संशोधित) के नियम-180 में वर्णित है कि किसी नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत के भीतर पुलिस अधीक्षक और अन्य क्षेत्रों में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर किसी क्षेत्र में या किसी सड़क पर गति पर निबन्धन या सामान्यतया मोटर यानों या किसी विशिष्ट वर्ग या वर्गों के मोटर यानों के प्रयोग पर निबन्धन या प्रतिबंध का ऐसा आदेश जैसा वह उचित समझे दे सकता है। ऐसे आदेश अधिसूचना द्वारा सरकारी गजट में और ऐसे स्थान या मार्ग पर या उसके निकट, जहां वे लागू होते हैं, सूचना पट्टों के माध्यम से प्रकाशित किये जायेंगे। इस सम्बन्ध में देहरादून-कर्णप्रयाग मार्ग पर आई0आर0टी0ई0 फरीदाबाद द्वारा किये गये सर्वेक्षण के क्रम में जनपद के विभिन्न मार्गों पर गति सीमा हेतु सहायक संगापीय परिवहन अधिकारी, (प्रशासन) देहरादून द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-112 की उपधारा(2) के साथ पठित उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011(यथा संशोधित) के नियम-180 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए देहरादून-कर्णप्रयाग मार्ग पर जनपद देहरादून के नगरीय निकायों के अधिकारिता क्षेत्र/क्षेत्रों के मार्गों या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की गति सीमा निम्नलिखित तालिका के अनुसार निर्धारित की जाती है :-

क्र० सं०	मार्ग का नाम	गति सीमा संकेत हेतु प्रस्तावित स्थान	कॉर्डिनेट्स	निर्धारित की गयी अधिकतम गति सीमा
1.	सहारनपुर- देहरादून मार्ग	मोहबबवाला, बेल रोड़	30.268719 77.9857622	40
2.	सहारनपुर- देहरादून मार्ग	इन्फिनिटी टीवीएस के पास	30.276939, 77.9896202	40
3.	सहारनपुर- देहरादून मार्ग	अमिशा विहार के सामने पलाईओवर पर	30.284847, 77.99439	40
4.	हरिद्वार बाईपास- सहारनपुर मार्ग	आईएसबीटी से पहले पलाईओवर पर प्रारंभ में	30.28915, 77.80020806	40
5.	देहरादून- हरिद्वार मार्ग	हरिद्वार बाईपास राधा स्वामी सत्संग से पहले	30.288968, 78.012451	50
6.	देहरादून- हरिद्वार मार्ग	हरिद्वार बाईपास एचपी पेट्रोल पम्प से पहले	30.288455, 78.0227079	50
7.	देहरादून- हरिद्वार मार्ग	हरिद्वार बाईपास मौली टावर के सामने	30.287994, 78.03307	50
8.	देहरादून- हरिद्वार मार्ग	हरिद्वार बाईपास शांति टावर के सामने	30.289004, 78.0429828	50
9.	हरिद्वार-देहरादून मार्ग	आर0ओ0बी0 के प्रारंभ में	30.291863, 78.0515637	30
10.	देहरादून- हरिद्वार मार्ग	टी0वी0एस0 इन्फिनिटी के पास	30.293221, 78.0588908	30
11.	देहरादून- हरिद्वार मार्ग	जोगीवाला चौक से पहले	30.286493, 78.0656582	30
12.	देहरादून- हरिद्वार मार्ग	पलाईओवर/आर0ओबी के प्रारंभ में	30.279737, 78.0725538	50
13.	देहरादून- हरिद्वार मार्ग	टोल रोड़ के प्रारंभ में	30.272213, 78.0783226	50
14.	देहरादून- हरिद्वार मार्ग	पावर ट्रांसमिशन कार्यालय के सामने आईआईपी	30.264628, 78.0834895	80
15.	देहरादून- हरिद्वार मार्ग	हरावाला	30.258075, 78.0904531	80

16.	देहरादून- हरिद्वार मार्ग	लक्ष्मण सिद्ध मंदिर मोड़	30.250148, 78.0937696	80
17.	देहरादून- हरिद्वार मार्ग	कुंआवाला के पास	30.243076, 78.100216	MMV/HMV-60 LMV-80 TWO/THREE WHEELER-50
18.	हरिद्वार- देहरादून मार्ग	मणीमाई मंदिर के बाद कुंआवाला से पहले	30.225139, 78.1156041	MMV/HMV-60 LMV-80 TWO/THREE WHEELER-50
19.	देहरादून- हरिद्वार मार्ग	टोल प्लाजा से पहले	30.205346, 78.1256238	MMV/HMV-60 LMV-80 TWO/THREE WHEELER-50
20.	देहरादून- हरिद्वार मार्ग	भानियावाला फ्लाईओवर	30.187167, 78.1373454	50
21.	देहरादून- हरिद्वार मार्ग	फ्लाईओवर के बाद	30.179598, 78.1440488	80
22.	देहरादून- हरिद्वार मार्ग	जे०डी० टावर के पास नूनावाला	30.171008, 78.1463943	80
23.	देहरादून- हरिद्वार मार्ग	जीवनवाला मोड़ के पास	30.162159, 78.1451128	80
24.	देहरादून- हरिद्वार मार्ग	माजरी ग्रांट	30.153573, 78.1463084	50
25.	देहरादून- हरिद्वार मार्ग	खैरा पंजाबी ढाबा के पास माजरीग्रांट	30.145616, 78.1513726	50
26.	देहरादून- हरिद्वार मार्ग	दून क्रिकेट एकेडमी के सामने	30.137215, 78.1552324	80
27.	देहरादून- हरिद्वार मार्ग	फनवैली के पास लाल तप्पड़	30.133872, 78.164318	50
28.	देहरादून- हरिद्वार मार्ग	लाल तप्पड़	30.125668, 78.1669342	50
29.	देहरादून- हरिद्वार मार्ग	लाल तप्पड़ नेचरविला से पहले	30.116678, 78.1675993	80
30.	देहरादून- हरिद्वार मार्ग	लाल तप्पड़ नेचरविला के बाद	30.112864, 78.169024	80
31.	देहरादून- हरिद्वार मार्ग	फ्लाईओवर के पूर्व	30.093701, 78.1826783	80
32.	देहरादून- हरिद्वार मार्ग	अमोली ट्रेडर्स के पास	30.085467, 78.1883009	80
33.	देहरादून- हरिद्वार मार्ग	छिदरवाला	30.078181, 78.1942559	50
34.	देहरादून- हरिद्वार मार्ग	तीन पानी फ्लाई ओवर	30.066629, 78.2084971	50
35.	देहरादून- हरिद्वार मार्ग	नेपाली फार्म से पहले	30.058951, 78.2138017	50
36.	देहरादून- ऋषिकेश मार्ग	नेपालीफार्म फ्लाईओवर	30.055988, 78.2219553	50
37.	देहरादून- ऋषिकेश मार्ग	इंडियन ऑयल पेट्रोल पम्प के पास	30.064036, 78.2408059	50
38.	देहरादून- ऋषिकेश मार्ग	ग्लास फैक्टरी के पास	30.06922, 78.2492057	50

39.	देहरादून- ऋषिकेश मार्ग	आईडीपीएल आयकर कार्यालय के आगे	30.075755, 78.2563553	50
40.	देहरादून- ऋषिकेश मार्ग	रेलवे क्रॉसिंग मोड़ के पास आईडीपीएल	30.083903, 78.2626883	50
41.	देहरादून- ऋषिकेश मार्ग	आईडीपीएल सिटी गेट के आगे काले की ढाल से पहले	30.089275, 78.2713206	50
43.	ऋषिकेश- देवप्रयाग मार्ग	रुद्र ऑटोमोबाइल यामाहा के आगे	30.093437, 78.2803835	40
44.	ऋषिकेश- देवप्रयाग मार्ग	पुरानी चुंगी से आगे	30.101339, 78.2908748	40
45.	ऋषिकेश- देवप्रयाग मार्ग	भरत मंदिर के सामने	30.106818, 78.2986545	40
46.	ऋषिकेश- देवप्रयाग मार्ग	पयूचर ऑटो व्हील के पास	30.114159, 78.3029236	40

अधिसूचना/आदेश संख्या-एसपीटी-आर-(गति सीमा)/2023 दिनांक 28 जून, 2023 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

गति सम्बन्धी उपरोक्त प्रतिबन्ध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा :

(1) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-116 में विनिर्दिष्ट साईन बोर्ड प्रतिबन्धित स्थान के दोनों छोर-प्रारम्भिक एवं अंतिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह-जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक के अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिए रिट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।

(2) उक्त प्रतिबन्ध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा -

(अ) अग्निशमन वाहन।

(ब) एम्बुलेंस।

(स) पुलिस वाहन।

(द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिए प्रयुक्त होने वाले वाहन।

(य) प्राकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिए प्रयुक्त वाहन।

(3) उपरोक्त तालिका के क्रमांक-2 में उल्लिखित मार्गों/स्थानों को छोड़कर जनपद के अन्य नगरीय क्षेत्रों के मार्गों में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-112 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-1377 दिनांक 06-04-2018, समय-समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 15 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 24, 1948 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

NOTICE

NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF UTTARAKHAND. PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY, RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.

BY ORDER
Additional Director

सूचना

विवाह से पूर्व मेरा नाम SWATI KABDAL D/o BHUWAN CHANDRA KABDAL था। जोकि मेरे हाईस्कूल वर्ष 2012 अनुक्रमांक 0129368 था। विवाह पश्चात् मैंने अपना नाम SWATI KABDAL से बदलकर SWATI HITESHI कर लिया है। जो मेरे आधार कार्ड नं० 5608XXXX7918 एवं उत्तराखण्ड विवाह रजिस्टर्ड ID-730455641371 व ID-560861057918 में भी दर्ज है। लेकिन अब मैं निजी कारणों से अपना नाम SWATI HITESHI से बदलकर SWATI SHARMA करना चाहती हूँ। भविष्य में मुझे SWATI SHARMA W/O PANKAJ KRISHAN HITESHI D/o BHUWAN CHANDRA KABDAL के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

SWATI SHARMA W/O PANKAJ KRISHAN HITESHI
D/o BHUWAN CHANDRA KABDAL
निवासी ग्राम—पीपलधार, पोस्ट—गनाई, अल्मोड़ा,
उत्तराखण्ड—263656.

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं० 7452 0448 7665 में त्रुटिवश मेरा नाम सरजीत सिंह (SARJEET SINGH) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम सुरजीत सिंह (SURJIT SINGH) है। जो मेरे पेन कार्ड नं० CTYPS7933R व मेरे पी०पी०ओ० सं० 3088/PENSION/1424 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे सुरजीत सिंह (SURJIT SINGH) पुत्र स्व० बच्चन सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

सुरजीत सिंह (SURJIT SINGH) पुत्र स्व० बच्चन सिंह
निवासी—जमालपुर मूलदासपुर उर्फ माजरा हरिद्वार
दौलतपुर उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे Reliance Nippon Life Insurance Policy नं. 50921934 में त्रुटिवश मेरा नाम Bimla गलत दर्ज हो गया है, जबकि मेरा वास्तविक नाम Vimla Devi है जोकि मेरे आधार कार्ड नं. 231558504335 एवं पेन कार्ड नं. KUQPD6322C में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे Vimla Devi W/o Mela Ram के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Vimla Devi W/o Mela Ram
निवासी ग्राम जिया पोटा, पो. मिस्सरपुर,
जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड-249408.

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं. 667153717384 में त्रुटिवश मेरा नाम गुड्डन (GUDDAN) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम गुडिया (GUDIYA) है जोकि मेरे जाति प्रमाण-पत्र संख्या: 1302041416559 एवं कक्षा-9 अनुक्रमांक 72 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे गुडिया (GUDIYA) पुत्री स्व० शोभाराम के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

गुडिया (GUDIYA) पुत्री स्व० शोभाराम
निवासी—ग्राम—खेडा जट, हरिद्वार,
उत्तराखण्ड-247670

सूचना

मेरी पुत्री कु0 शालिनी के आधार कार्ड संख्या 7855 3437 5128 में त्रुटिवश उसका घरेलू नाम सलोनी सिंह (SALONI SINGH) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है। जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम शालिनी (SHALINI) है जो कि उसके हाईस्कूल वर्ष 2024 के अनुक्रमांक 25124304 एवं जन्म प्रमाण पत्र संख्या 2503 में भी दर्ज है। मेरी पुत्री को भविष्य में शालिनी (SHALINI) पुत्री रविशंकर (RAVI SHANKER) के नाम से ही पहचाना व पुकारा जावे।

समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गयी हैं।

रवि शंकर पुत्र अशोक कुमार,
निवासी त्रिमूर्ति नगर, ज्वालापुर,
पो0 ज्वालापुर, जिला हरिद्वार।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नंबर 8770 6382 1065 में त्रुटिवश मेरा नाम सितारी (Sitaree) गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम सितार (Sitar) है जो कि मेरे स्थाई निवास प्रमाण पत्र सं. UK25ES0100566175 में भी दर्ज है भविष्य में मुझे सितार (Sitar) पुत्र सज्जाद के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

सितार (Sitar) पुत्र सज्जाद
निवासी 472 खंजरपुर रुड़की हरिद्वार उत्तराखंड 247667

सूचना

IN my daughter Nandani Rawat (Roll No. 25111617, Year 2024) class 10th marksheet, father's name was erroneously recorded as "Sansar Rawat," whereas father's actual name is "Sansar Singh Rawat." This correct name is duly recorded in my daughter's Birth Certificate (Registration No. B202605026880000001), her Aadhaar Card (No. 4772XXXX5325), and my own Aadhaar Card (No. 4401XXXX3702). Henceforth, my daughter should be known and addressed as "Nandani Rawat, D/o Sansar Singh Rawat." Sansar Singh Rawat, Resident: Village Bahadurpur Attak Farm, P.O. Selakui, Dehradun, Uttarakhand.

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Sansar Singh Rawat,
Resident: Village Bahadurpur Attak Farm
P.O. Selakui, Dehradun, Uttarakhand

सूचना

मेरी नाबालिग पुत्री के आधार कार्ड नंबर 5425 XXXX 1315 और जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण संख्या UK22ES46823 में उसका नाम औजस्वी (Aoujasvi) दर्ज है। मैंने अपनी पुत्री का नाम निजी कारणों से बदलकर ओजस्वी (Ojasvi) कर लिया है। भविष्य में मेरी पुत्री को ओजस्वी (Ojasvi) के नाम से ही जाना व पहचाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

अमित कुमार

निवासी शेरपुर खेलमऊ, हरिद्वार, उत्तराखण्ड

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या-9868 4101 7674, में त्रुटिवश पुत्री का नाम अंजल रायल (ANJAL RAYAL) दर्ज हो गया है। जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम ऐन्जल रायल (ANGEL RAYAL) हैं जो उसके जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण संख्या-B20120808262, में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को ऐन्जल रायल (ANGEL RAYAL) पुत्री राकेश रायल (RAKESH RAYAL) के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

श्रीमती रेखा रायल पत्नी श्री राकेश रायल

निवासी-35 कुंज विहार, नजदीक कारगी चौक,

पी० ओ० बंजारावाला, जिला देहरादून

(उत्तराखण्ड)

सूचना

मेरे नाबालिग पुत्र के आधार कार्ड नं. 5053 4438 4338 में उसका नाम काव्या अग्रवाल दर्ज है। जबकि मैंने निजी कारणों से अपने पुत्र का नाम काव्या अग्रवाल से बदलकर काव्यांश अग्रवाल (KAVYANSH AGGARWAL) कर लिया है। जो उसके जन्म प्रमाण-पत्र पंजी सं० 6682 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को काव्यांश अग्रवाल (KAVYANSH AGGARWAL) पुत्र नीशु के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

नीशु पत्नी स्व० गौरव अग्रवाल

निवासी-20/2 सती मोहल्ला रुड़की

जिला-हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी नाबालिक पुत्री के आधार कार्ड नं0 9112 5428 2634 में त्रुटिवश उसका घरेलू नाम वैभवी (VAIBHAVI) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम वाणी (VANI) है। जो पुत्री के जन्म प्रमाण-पत्र सं0 2803 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को वाणी (VANI) पुत्री श्री आशुतोष के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

आशुतोष

निवासी-म0नं0-12 ए, नैशनल रोड़ देहरादून
उत्तराखण्ड।

सूचना

IT is hereby declared that in the Secondary School Certificate 12th Class of ADITYARAJ SINGH NEGI (Roll No. 5766768), year, of passing 2009, Board CBSE (Central Board of Secondary Education), the name of father has been wrongly recorded as Ashok Kumar Singh Negi. It is cerified that this was due to inadvertent error. The correct name the father is ASHOK KUMAR SINGH as per his Aadhar No.-210972762747, and Pan No.-AKWPS0786K. Kindly treat the name of father of ADITYARAJ SINGH NEGI in the 12th Class Certificates as ASHOK KUMAR SINGH and also in his other educational Ceriticates and official documents. . his Correction is being notified for General Information and records.

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

ASHOK KUMAR SINGH

R/o-Flat No.A-2, Lane No. 1, Shiv Kripa Apartments,
Ashirwad Enclave, Near Ashirwad Petrol Pump,
Dehradun, Uttark-hand, Pin-248001

सूचना

मेरे नाबालिग पुत्र के आधार कार्ड नं. 240203522258 एवं जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण संख्या UK23ES1500001099 में उसका नाम मिर्दुल चौधरी (MIRDUL CHAUDHARY) दर्ज है। लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपने पुत्र का नाम मिर्दुल चौधरी (MIRDUL CHAUDHARY) से बदलकर सानिध्य पोसवाल (SANIDHYA POSWAL) कर लिया है भविष्य में मेरे पुत्र को सानिध्य पोसवाल (SANIDHYA POSWAL) पुत्र अजय चौधरी के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

अजय चौधरी

निवासी-बाहिस्तीपुर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड-247665.

सूचना

मेरे आधार कार्ड नम्बर 7175 5316 5512 में त्रुटिवश मेरा नाम मोहम्मद अबूब बाकार (MOHAMD ABUB BAKAR) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम मौ० अबुबकर (MOHD ABUBAKAR) है। जो मेरे जन्म प्रमाण-पत्र पंजी सं० इ20250572317000001 व स्थाई निवास प्रमाण-पत्र सं० UK25ES0100599975 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे मौ० अबुबकर (MOHD ABUBAKAR) पुत्र सुलेमान के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

मौ० अबुबकर (MOHD ABUBAKAR) पुत्र सुलेमान
निवासी ग्राम मखियाली खुर्द पो० मोहम्मदपुर बुजुर्ग पोस्ट
लक्सर हरिद्वार उत्तराखण्ड

सूचना

मेरे नाबालिक पुत्र के आधार कार्ड नं०. 7025 7996 1246 में त्रुटिवश उसका नाम रण विजय (RAN VIJAY) गलत दर्ज हो गया है, जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम रण विजय सिंह (RAN VIJAY SINGH) है जो पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र पंजी० सं०. 764 में भी दर्ज है, भविष्य में मेरे पुत्र को रण विजय सिंह (RAN VIJAY SINGH) के नाम जाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

विनय कुमार
निवासी-C-58 श्री राम नगर ज्वालापुर हरिद्वार।

सूचना

मेरे नाबालिक पुत्र के आधार कार्ड नं. 2850 8894 1417 में त्रुटिवश उसका घरेलू नाम लक्की (LAKKI) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम आरव कुमार (ARAV KUMAR) है। जो पुत्र के जन्म प्रमाण-पत्र पंजी सं० B-2023:9-90025-000130 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को आरव कुमार (ARAV KUMAR) पुत्र श्री लोकेन्द्र कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

लोकेन्द्र कुमार
निवासी-आकाश डीप एन्वलेव फेस-2 रुड़की
शिव मंदिर रुड़की जिला-हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे Sew Infrastructure Private Limited पीएफ खाता संख्या APHYD00163380000074735 में त्रुटिवश मेरा नाम Joginder Kachhi Kushwaha गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम Joginder Kachhi है जो मेरे आधार कार्ड नंबर 944767736255 वह पैन कार्ड AQFPK2111B में भी दर्ज है भविष्य में Joginder Kachhi S/o Late Jaleshwar Prasad के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Joginder Kachhi S/o Late Jaleshwar Prasad
निवासी दुर्गा कॉलोनी डी 50, 58 आरमड ब्रिगेड विलेज दुर्गा
कॉलोनी लालकूर्ती रुड़की जिला हरिद्वार उत्तराखंड

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं० 50286809 5747 में त्रुटिवश मेरा नाम देवकी (DEVKI) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम देवकी देवी (DEWAKI DEVI) है। जो मेरे स्व० पति लक्ष्मण सिंह के पी०पी०ओ० नं० F/237693 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे देवकी देवी (DEWAKI DEVI) पत्नी स्व० लक्ष्मण सिंह नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

देवकी देवी (DEWAKI DEVI)
पत्नी स्व० लक्ष्मण सिंह
निवासी- 21 वृंदा बास्तिल देहरादून उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 555671455042 में त्रुटिवश उसका नाम सुहिल (SUHAIL) व पिता का नाम युसाफ खान गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम सोहेब खान व पिता का वास्तविक नाम युसुफ खान है। जो पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या B20100507308 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को सोहेब खान पुत्र युसुफ खान के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

युसुफ खान
निवासी हाउस न-1016 लोहिया नगर, ब्रह्मपुरी,
निरंजनपुर, माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नंबर 332803017188 में त्रुटिवश मेरा नाम चैन्याल (Chainpal) गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम चैन सिंह (Chain Singh) है जो कि मेरे स्थाई निवास प्रमाण पत्र संख्या UK26 ESO 100126510 एवं ई-पहचान पत्र संख्या RDM 0596676 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे चैन सिंह (Chain Singh) पुत्र श्री सूरत सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

चैन सिंह (Chain Singh) पुत्र श्री सूरत सिंह
निवासी ग्राम मन्ना खेड़ी, मंगलौर तोवन हरिद्वार
उत्तराखण्ड 247656

सूचना

मैं दीवान सिंह चौहान निवासी ग्राम भूपर, पो0ओ0 दसर, चकराता, देहरादून, उत्तराखण्ड। मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 8899 4768 8876 में पुत्री का नाम Nabhiha गलत दर्ज है, जबकि मेरी पुत्री का सही नाम Navya Chauhan है। भविष्य में पुत्री को सही नाम से जाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

दीवान सिंह चौहान
निवासी ग्राम भूपर, पो0ओ0 दसर, चकराता,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी नाबालिक पुत्री के आधार कार्ड नं. 496182128642 में त्रुटिवश उसका नाम श्रिया (SHRIYA) गलत दर्ज हो गया है, जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम श्रेया (SHREYA) है। जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं0 02/002 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को श्रेया (SHREYA) पुत्री श्रीमती रूसी के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

रूसी पत्नी भूपेंद्र सिंह
निवासी ग्राम गिरिया, पोस्ट-ऑफीस मनसूना, रुद्रप्रयाग,
उत्तराखण्ड-246469

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं. 329943177946 में त्रुटिवश उसका घरेलु नाम लक्की शाह (LAKKI SHAH) दर्ज हो गया है, जोकि गलत है। जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम रिया (RIYA) है। जोकि उसके हाईस्कूल अनुक्रमांक 24042207 एवं जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण स. UK23ES1600043589 में भी दर्ज हैं। भविष्य में मेरी पुत्री को रिया (RIYA) पुत्री मकानी देवी (MAKANI DEVI) के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

मकानी देवी पत्नी श्री अनिल शाह
निवासी 50, दल्ला टिहरी गढ़वाल, दल्ला
अगंड, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं. 632508681799 में त्रुटिवश मेरा अंग्रेजी में नाम SAWEZ ALI के स्थान पर SEWEZ ALI गलत दर्ज हो गया है, जबकि मेरा अंग्रेजी में सही नाम SAWEZ ALI है। जोकि मेरे हाईस्कूल वर्ष -2021 अनुक्रमांक 21001040 एवं जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या B202405900730001883 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे सही नाम SAWEZ ALI S/o WAZID ALI के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

SAWEZ ALI S/O WAZID ALI
निवासी अहबाब नगर, ज्वालापुर टाउन, ज्वालापुर,
हरिद्वार, उत्तराखण्ड-249407.

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं-438430617500 में त्रुटिवश मेरा अंग्रेजी में नाम-PURNA DEVI के स्थान पर POORNA DEVI गलत दर्ज हो गया है, जबकि मेरा अंग्रेजी में सही नाम-PURNA DEVI है। जोकि मेरे स्व० पति जयंती प्रसाद गौर के पी०पी०ओ० संख्या-216197300130 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे सही नाम-PURNA DEVI के नाम से ही जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

PURNA DEVI
W/O LATE JAYANTI PRASADGAUR
निवासी-126, ग्राम-गोहरीमाफी, पो०-रायवाला,
जिला-देहरादून राज्य उत्तराखण्ड 249205.

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं० 28054323 9961 में त्रुटिवश मेरा नाम प्रीती कश्यप (Preeti Kashyap) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम प्रीती (Preeti) है। जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक नं० 23024784 व स्थाई निवास प्रमाण पत्र सं०—UK25ES0100637963 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे प्रीती (Preeti) पुत्री श्री महेन्द्र सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

प्रीती (Preeti) पुत्री श्री महेन्द्र सिंह
निवासी—मोहकमपुर माजरी माफी आई०आई०पी०
देहरादून उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी नाबालिक पुत्री के आधार कार्ड नंबर 472884456516 में त्रुटिवश उसका घरेलू नाम सिद्धि (Siddhi) गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम सिधांसी बहुखंडी (Sidhanshi Bahukhandi) है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या B-2020:5-90069-004886 में भी दर्ज है भविष्य में मेरी पुत्री को सिधांसी बहुखंडी (Sidhanshi Bahukhandi) पुत्री नितिन कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

नितिन कुमार
निवासी— गांधी कॉलोनी लक्ष्मी नगर, आर्यन
होटल, नया मोहनपुरा, मोहनपुरा मोहम्मदपुर,
हरिद्वार, उत्तराखंड 247666

सूचना

मेरी पत्नी के बी०एच०ई०एल० मेडिकल कार्ड नं. R 5992/1585991 में उसका नाम त्रुटिवश नसीम जहाँ (NASEEM JAHAN) व जन्म तिथि 15.10.1952 गलत अंकित हो गयी है। जबकि मेरी पत्नी का सही नाम नासरा बी अंसारी (NASRA BI ANSARI) व जन्म तिथि 23.12.1972 है। जो पत्नी के आधार कार्ड नं. 2439 2726 XXXX व हाईस्कूल अनुक्रमांक 1463231 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पत्नी को उनके सही नाम नासरा बी अंसारी (NASRA BI ANSARI) से जाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

इफ्तखार अली
निवासी—ए 23 शास्त्री नगर ज्वालापुर इंटर कॉलेज
हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे पति स्वर्गीय दान सिंह के सैन्य अभिलेखों EX-No. 48764HAV/GD में त्रुटिवश मेरा नाम DEBKI DEVI गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम देवकी देवी (DEVKI DEVI) है जोकि मेरे आधार कार्ड नं. 717484687917 व पेनकार्ड IJGPD884C तथा अन्य अभिलेखों में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे मेरे वास्तविक नाम देवकी देवी (DEVKI DEVI) के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

देवकी देवी पत्नी स्व. श्री दान सिंह,
ग्राम दुर्गापुर नं. 2 दिनेशपुर उधमसिंह नगर।